

पीठासीन अधिकारी- श्री के०आर० खौड़ आर.ए.एस.

प्रकरण सं० -

तारीख दायर

तारीख फैसला

43/2017/प्रार्थना पत्र

23.03.2017

20.04.2017

उनवान

गोरधन पिता धन्ना कुम्हार निवासी मालीखेड़ा (मगनपुरा) तह० फूलियाकलां

- प्रार्थी

बनाम

- 1- श्रीकिशन पिता हीरा तेली निवासी धनोप तह० फूलियाकलां
- 2- गोपाल पिता लादु कलाल निवासी माली खेड़ा (मगनपुरा)
- 3- हणुता पिता छोगा गुर्जर निवासी माली खेड़ा (मगनपुरा)
- 4- गोपाल पिता छोगा गुर्जर निवासी माली खेड़ा (मगनपुरा)
- 5- सोहनी पत्नि श्रीकिशन तेली निवासी धनोप
- 6- मिश्री पिता छोगा गुर्जर निवासी माली खेड़ा (मगनपुरा)
- 7- रंगलाल पिता लादु कलाल निवासी माली खेड़ा (मगनपुरा)
- 8- रोडू पिता भैरू कलाल निवासी माली खेड़ा (मगनपुरा)
- 9- रामनाथ पिता छोगा गुर्जर निवासी माली खेड़ा (मगनपुरा)

- विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 128 एल०आर०एक्ट

उपस्थित :- श्री सुनील कुमार शर्मा : अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 128 एल०आर०एक्ट विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है, ग्राम माली खेड़ा पटवार हल्का माली खेड़ा तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 28 आ०न० 179 रकबा 0.10 है०, आ०न० 187 रकबा 0.08 है०, आ०न० 189 रकबा 0.58 है० आ०न० 190 रकबा 0.28 है० कुल कित्ता 04 रकबा 1.04 है० व खाता संख्या 29 आ०न० 433 रकबा 0.03 है० आ०न० 434 रकबा 0.38 है०, आ०न० 435 रकबा 0.40 है० आ०न० 437 रकबा 0.45 है०, कुल कित्ता 04 रकबा 1.26 है० कुल कित्ता 04 रकबा 1.26 है० प्रार्थी की पैरा नं० 1 मे वर्णित आराजीयात के विपक्षीगण पड़ोसी होने से आये दिन फसल काश्त करते समय व फसल काटते समय मौके पर विवाद करते है। अतः निवेदन है कि पैरा नं० 1 मे वर्णित आराजी की मुस्तकिल निशान से पत्थरगड़ी किये जाने का आदेश बक्षाते हुए प्रार्थीगण की चारों सीमाओं पर मुस्तकिल निशान लगाये जाना का आदेश बक्षावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 20.04.2017 को विपक्षीगण बावजूद सम्मन बाद तामील प्राप्त हो जाने पर भी उपस्थित नही होने से उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की



a

जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस में अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। बहस पर मनन एवं दस्तावेज का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी ग्राम माली खेड़ा पटवार मण्डल माली खेड़ा संवत् 2073 से 76 खाता संख्या 28 आ०न० 179 रकबा 0.10 है०, आ०न० 187 रकबा 0.08 है०, आ०न० 189 रकबा 0.58 है० आ०न० 190 रकबा 0.28 है० कुल किता 04 रकबा 1.04 है० व खाता संख्या 29 आ०न० 433 रकबा 0.03 है० आ०न० 434 रकबा 0.38 है०, आ०न० 435 रकबा 0.40 है० आ०न० 437 रकबा 0.45 है०, कुल किता 04 रकबा 1.26 है० कुल किता 04 रकबा 1.26 है० का प्रार्थी खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ :-

### आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल०आर०एक्ट विरुद्ध विपक्षीगण के स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम माली खेड़ा पटवार हल्का माली खेड़ा तहसील फूलियाकलां में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की खखाता संख्या 28 आ०न० 179 रकबा 0.10 है०, आ०न० 187 रकबा 0.08 है०, आ०न० 189 रकबा 0.58 है० आ०न० 190 रकबा 0.28 है० कुल किता 04 रकबा 1.04 है० व खाता संख्या 29 आ०न० 433 रकबा 0.03 है० आ०न० 434 रकबा 0.38 है०, आ०न० 435 रकबा 0.40 है० आ०न० 437 रकबा 0.45 है०, कुल किता 04 रकबा 1.26 है० कुल किता 04 रकबा 1.26 है० प्रार्थी के खातेदारी की पत्थरगढ़ी अन्य किसी न्यायालय में प्रकरण जैरकार होकर स्थगन आदेश आदि न हो तो पक्षकारान की मौजूदगी में पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार फूलियाकलां को 1000/- ( अक्षरे एक हजार रुपये मात्र) की कमीशन राशि पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीशन राशि मौके पर प्रार्थी से प्राप्त करे। निर्णय प्रति पालनार्थ तहसीलदार फूलियाकलां को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 20.04.2017 को विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(के०आर० खौड़)

आर०ए०एस०  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलेक्टर, फूलियाकलां (भीलवाड़ा)

प्रतिलिपि :- तहसीलदार, फूलियाकलां को भेजकर लिख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

अ

उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलेक्टर, फूलियाकलां (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलेक्टर  
फूलिया कलां, जिला-भीलवाड़ा

